रजिस्ट्री सं. डी (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 1985/ज्येष्ठ 8, 1907
No. 3] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 1985/JYAISTHA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मई, 1985

का नि आ 3 (अ) —छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि छावनी प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड जबलपुर के गठन में फेरफार होना वांछनीय है, एतद्द्वारा घोषणा करती है और अतिरिक्त निदेश देती है कि 12 माह की कालावधि के लिए अथवा उक्त अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत बोर्ड के गठन तक के लिए, इनमें से जो पहले हो, उक्त छावनी बोर्ड के गठन में फेरफार किया हुआ रहेगा ।

[फाइल सं 29/3/सी/भू व छा /75/2911/रक्षा (क्यू एंड सी)/85]

के श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 29th May, 1985

S.R.O. 3(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government, being satisfied that for the administration of the Cantonment, it is desirable to vary the constitution of the Cantonment Board, Jabalpur, hereby makes a declaration to that effect and further directs that the constitution of the said Board shall stand varied for a period of 12 months or till a Board is constituted under section 13 of the said Act, whichever is earlier.

[F. No. 29|3|C|I&C|75|2911|D(G&C)|85]

K. SRINIVASAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985